झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद/ अपीलवाद　　संख्या....63.........　　वर्ष 20.23....

विविधवाद/ प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री प्रकाश चंद्र चन्दन
ग्रा०+पो० - औरा, थाना - बगोदर, जिला - गिरिडीह

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद सं0–63 / 2023

अपीलकर्ता श्री प्रकाश चंद्र चंदन, ग्राम+पोस्ट–औंरा, थाना–बगोदर, जिला–गिरिडीह का अपील–आवेदन आयोग को प्राप्त हुआ है। प्राप्त अपील आवेदन में अपीलकर्ता द्वारा निम्न आरोप लगाये गये हैं:–

1. DSD अभिकर्त्ता, श्री दिपेश कुमार के द्वारा वाउचर में हेराफेरी कर डिलीवर किये गये कम अनाज को ऑनलाइन डाटा इंट्री में पूर्ण डिस्पैच दिखा कर राशन का बड़े पैमाने पर गबन किया जा रहा है।
2. उपरोक्त मामले में बगोदर के सहायक गोदाम प्रबंधक के भी संलिप्ता रहने एवं विभाग के संरक्षण में किये जाने का आरोप है।
3. अपीलकर्ता द्वारा उदाहरण स्वरूप माह अगस्त, 2023 में डीलर श्री मकसूद आलम का DSD अभिकर्ता द्वारा आवंटित एवं डिलीवर किये गये अनाज की मात्रा का आवंटन उपलब्ध कराया है, जो कि आवंटित अनाज एवं निर्गत SIO के 246.05 क्विंटल के विरूद्ध मात्र 126.05 क्विंटल डिलीवर हुआ है।

प्रस्तुत मामले को गंभीरता से लेते हुए उक्त मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह को प्रतिवादी बनाते हुए आयोग स्तर पर सुनवाई करने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–15.12.2023 को निर्धारित की जाती है।

प्राप्त अपील आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई में आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपीलकर्ताओं को उपस्थित रहने हेतु नोटिस निर्गत करें।

दिनांक–15.12.2023 को अपराह्न 12.00 बजे रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।